

श्री मोनाथ व अन्य बनाम श्री सुरेश व अन्य

किस्म मुकदमा 05 88, 188 का 138 URA मु0न0 46 सन 2014



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
09-01-2019	<p>बादीगण स्वयं व वारीगण की तौर से कोई प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। तकील प्रतिवारीगण उपस्थित। वारी को दिनांक 03-04-2018 को साक्ष्य पुस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था, जिसके तार अंतिम हक्सर व साक्ष्य पुस्तुत करने हेतु हिदायत भी दी गई जिसके बावजूद बादी द्वारा लगभग 9 मघ की अवधि में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पुस्तुत नहीं की गई है, उन्हें आज कक-कक कर कई बार आवाजे लगाई गई, फलतः कोई शक्ति नहीं आए। इससे वारीगण द्वारा पुकरण को जानबूझकर लम्बित करने की मंशा प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अदाला 17 नियम 3(2) जा. दी. तथा अदाला 9 नियम 8 जावत दीवानी के तहत पुकरण अदम टाज़री व अदम फेरकी तथा अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार डेकर अम्बर से कम हो</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	